संख्या-391/2023/1408/22-2-2023-17(411)/2023

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 20 जून, 2023*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लालाराम पुत्र श्री बसंती उर्फ बसंतीलाल, निवासी जनपद-बदायूं की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-13821/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 21.04.2023, दिनांक 27.04.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लालाराम पुत्र श्री बसंती उर्फ बसंतीलाल, अकबराबाद, थाना-सहसवान, जनपद-बदायूं का निवासी है। बंदी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक-15.04.2005 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचा से गोली मारकर रामवीर नामक व्यक्ति की हत्या कारित की गयी है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-24, 25/2005 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 व, धारा-25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (एस0सी0/एस0टी0) एक्ट, त्वरित न्यायालय सं0-02, बदायूं के आदेश दिनांक 18.08.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक-30.09.2015 द्वारा यथावत रखा गया, द्वारा दिनांक 14.04.2023 तक 15 वर्ष 02 माह 05 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 04 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बदायूँ द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा सिद्धदोष बन्दी लालाराम पुत्र श्री बसंती उर्फ बसंतीलाल की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर विचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की 60 वर्ष की आयु, सजा तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बदायूं द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लालाराम (बन्दी संख्या-47634) पुत्र श्री बसंती उर्फ बसंतीलाल, निवासी जनपद-बदायूं की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-391/2023/1408(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-बदायूं ।

2- श्री संजय कुमार त्यागी, एडवोकेट आंन रिकार्ड, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) संख्या-2123/2023 लालाराम बनाम व उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के सन्दर्भ में, द्वारा नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद।

3- श्री राहुल वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) संख्या-2123/2023 लालाराम बनाम व उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के सन्दर्भ में, द्वारा नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद।

4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद।

5- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

6- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, (स्वतंत्र प्रभार) कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।